चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4760
दिनांक :– 14.3.2024

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 05.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि बी0ए0बी0एड0/बी0एस–सी0 बी0एड0 पाठयक्रमों में शैक्षिक सत्र 2025–2026 से छात्रों के प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के उपर्युक्त अधिसूचना 15.02.2024 की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों को आई0टी0ई0पी0 की मान्यता लेने के पश्चात ही शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश प्रदान किये जाएगे।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

14.03.2024

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. संकायाध्यक्ष शिक्षा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक संस्थान)

NCTE

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)
By e-mail / Hand / Speed Post / Fax

F. No. NCTE-Regl022/16/2023-Reg. Sec-HQ

Dated: 5th February 2024

PUBLIC NOTICE

Subject: Transition from the 4-year Integrated Programme (B.A. B.Ed. /B.Sc. B.Ed.) to Integrated Teacher Education Programme (ITEP) prescribed in NCTE (Amendment) Regulations 2021 dated 26.10.2021.

The National Council for Teacher Education (NCTE), a statutory body under Ministry of Education, Govt. of India, has been established under an Act of Parliament (73 of 1993) with a view to achieve planned and coordinated development of teacher education system and maintenance of norms and standards and matters connected therewith throughout the country. In alignment with National Education Policy 2020, NCTE came out with the Gazette Notification No. NCTE-Regl011/80/2018-MS (Regulation)-HQ dated 26.10.2021 wherein ITEP was introduced in multi-disciplinary institutions.

2. In light of the NCTE (Amendment) Regulations 2024 No. NCTE-Regl022/16/2023-Reg.Sec.-HQ dated 31.01.2024 NCTE hereby invites applications for transition from the institutions which have been granted recognition by NCTE to run the 4-year Integrated Programme (B.A. B.Ed. /B.Sc. B.Ed.), under omitted Appendix-13 of NCTE Regulations 2014. The institutions desirous for transition to ITEP may apply on the online transition module (URL:http://www.ncte.gov.in/TRS) in the NCTE website within the stipulated time as given below.

3. The last academic session for admission of students to 4-year Integrated Programme (B.A. B.Ed. /B.Sc. B.Ed.) shall be 2024-25. No fresh admissions shall be made in this course thereafter. However, those students who have enrolled upto the academic session 2024-25 shall be allowed to complete their programme as per norms. The 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under the omitted Appendix-13 shall be discontinued from the academic session 2025-2026.

4. The recognized unit(s) and stream(s) of the 4-year Integrated Programme (B.A. B.Ed. /B.Sc. B.Ed.) shall remain the same. The institutions desirous of transition may opt for Middle and/or Secondary stage of ITEP.

5. For other stages of ITEP i.e. Foundational and Preparatory, the institutions under this transition, may apply for the same as and when the NCTE invites fresh applications.

6. If any institution, which is not recognized by the NCTE, applies for transition; the application shall be outrightly rejected and any fees paid by such institution shall be forfeited.

7. The processing fees shall be applicable as per the NCTE Rules 1997 as amended from time to time.

8. The timeline for submission of the application shall be from 05.02.2024 to 05.03.2024 (till 11:59 p.m.).

Kesang Y Sherpa

(Kesang Y. Sherpa, IRS)
Member Secretary

जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
G-7, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075
Phone : +91-011-20893266, Fax : +91-011-20893270 E-mail : ms@ncte-india.org
Website : www.ncte.gov.in

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230728
CG-DL-E-26102021-230728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
No. 509] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर 2021

फा.सं.एनसीटीई–रेगु011/80/2018–एमएस(विनियमन)–मुख्यालय.–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32 की उप–खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: –

1. **लघु शीर्ष और प्रवर्तन** – (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) संशोधित विनियम, 2021 कहलांएगे।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 (यहां प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित) में खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: –

"(गक) "बहु–विषयक संस्थान" का अर्थ एक विधिवत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान है जिसमें अध्ययन के कई अलग–अलग विषय शामिल हैं / एक से अधिक विषयों को सम्मिलित करना या शामिल करना हैं। बहु–विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के अलावा, अन्य विभागों या स्वतंत्र कला या मानविकी या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या गणित के क्षेत्र के सहयोग से एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाएगा, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन करते समय, जैसा भी मामला हो।

(गख) "एनईपी 2020" का अर्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. मूल विनियम में, विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : –

6165 GI/2021

"9. **मानदंड और मानक**– तालिका में दिखाए गए निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रत्येक संस्थान को परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 में निर्दिष्ट विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा :

क्र. सं.	मानदंड और मानक	परिशिष्ट सं.
1.	प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा जिससे स्कूल–पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट–1
2.	प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जिससे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.एल.एड.) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट–2
3.	प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम से प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट–3
4.	शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिससे शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट–4
5.	शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिससे शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट 5
6.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, कार्यक्रम जिससे शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) का प्राप्त होता है।	परिशिष्ट –6
7.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम जिससे शारीरिक शिक्षा स्नातक में (बी.पी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट–7
8.	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिससे शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी. एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट–8
9.	मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम जिससे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ईएल.एड) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट–9
10.	मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के द्वारा शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिससे शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट 10
11.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) कार्यक्रम, जिससे कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) प्राप्त होता हैं।	परिशिष्ट–11
12.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (प्रदर्शन कला) कार्यक्रम, जिससे कला शिक्षा में डिप्लोमा (प्रदर्शन कला) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट–12
13.	शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (अंशकालिक), जिससे शिक्षा स्नातक (बी.एड) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट–13
14.	बी.एड. एम.एड (3 साल का एकीकृत) कार्यक्रम, जिससे बी.एड.एम.एड. (एकीकृत) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट–14
15.	एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)	परिशिष्ट–15

"

5. मूल विनियमों में,–

(i) परिशिष्ट–13 को हटाया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट 14 और 15 को परिशिष्ट–13 और परिशिष्ट–14 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और परिशिष्ट–13 और परिशिष्ट 14 के बाद इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, अर्थातः –

''परिशिष्ट–15

4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावनाः

1.1 अध्यापक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। आईटीईपी सीनियर सेकेंडरी (+2) या इसके समकक्ष परीक्षा के बाद या स्कूली शिक्षा के एनईपी 2020 संरचना 5+3+3+4 के अनुसार संचालित किया जाएगा। यह शिक्षकों को सशक्त बनाने और यथासंभव प्रभावी ढंग से अपना काम करने में उनकी मदद करने के लिए सब कुछ एकीकृत करता है। इसके अलावा, विषयगत तथा व्यावसायिक ज्ञान के एकीकरण से (5+3+3+4) पर शिक्षण व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की आवश्यकता की पूर्ति होती है।

1.2 आईटीईपी कार्यक्रम में एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन परिकल्पना के अनुसार अध्यापकों को तैयार करने पर जोर दिया गया है। देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करने के अलावा, विभिन्न विषयों में प्राप्त विषयगत ज्ञान से छात्र–अध्यापकों को उनके विशिष्ट विषय (विषयों) में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो उस विषयगत धारा में उच्च अध्ययन में प्रवेश लेने और उच्च व्यावसायिक योग्यता के लिए सुनिश्चित करेगा।

1.3 आईटीईपी का उद्देश्य छात्र–अध्यापकों को एकीकृत तरीके से व्यावसायिक ज्ञान के साथ विषयगत ज्ञान प्रदान करने का दोहरा उद्देश्य हैं। चूंकि, यह कार्यक्रम स्नातक उपाधि (बी.एससी./बी.ए./बी.कॉम.) और अध्यापक शिक्षा डिग्री के समकक्ष होगा, इसलिए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में दोनों उपाधियों के लिए आवश्यक विभिन्न पाठ्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं।

1.4 बहु–विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित आईटीईपी (इसके बाद 'एचईआई' के रूप में संदर्भित) स्कूल अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपाधि योग्यता होगी। आईटीईपी एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक उपाधि होगी। यह कार्यक्रम अध्यापकों को पुनर्संचना के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना के लिए तैयार करेगा, जिससे वे माध्यमिक 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित मौलिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक जैसे चरणों के अनुरूप, उनके विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों की विकास आवश्यकताओं और हितों के लिए उत्तरदायी और प्रासंगिक बन सकेंगें।

1.5 आईटीईपी बहु और अंतर–विषयगत शैक्षणिक वातावरण में होगा और पायलट मोड में शुरू करके चरणबद्ध तरीके से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम विश्वविद्यालय/एचईआई के अन्य विभागों के मौजूदा भौतिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति देगा। आईटीईपी का स्वामित्व बहु–विषयक एचईआई के शिक्षा विभाग के पास होगा। सभी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों (इसके बाद 'टीईआई' के रूप में संदर्भित) को आईटीईपी के संचालन के लिए पात्र बनने हेतु 2030 तक बहु–विषयक संस्थानों में परिवर्तित होने की आवश्यकता होगी।

1.6 एचईआई द्वारा शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के 1 (एक) महीने के भीतर एनसीटीई द्वारा निर्धारित आईटीईपी के लिए विशेष रूप से तैयार प्रारूप, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। एनसीटीई द्वारा तैयार एक उपयुक्त प्रोफार्मा के आधार पर निरीक्षण भी किया जाएगा, जिससें मान्यता के विस्तार/वापसी का निर्धारण तैयार हो सकेगा।

1.7 मूल विनियमों के विनियम 5 के उप–विनियम (5) और (6) में किए गए प्रावधान के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने और उनपर कारवाई करने हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो विनियम 5 के उप–विनियम (5) और (6) के तहत दी गई समय सीमा में उचित विचार करने और केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छूट दी जा सकती है।

1.8 आईटीईपी को बहु–विषयक एचइआईएस/टीईआई में पायलटिंग से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा और इस प्रकार एनईपी 2020 की समय सीमा के अनुसार देशव्यापी विस्तार किया जाएगा।

1.9 एनईपी 2020 के साथ संबद्ध यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता संरचना में अंतिम रूप से निर्धारित आईटीईपी में निकास प्रणाली लागू होगी।

2. अवधि और कार्य दिवसः

2.1 अवधिः

आईटीईपी चार शैक्षणिक वर्षों का होगा जिसमें इंटर्नशिप (क्षेत्र–आधारित अनुभव और अभ्यास शिक्षण) सहित आठ सेमेस्टर शामिल होंगे। कोई भी छात्र–अध्यापक जो किसी भी सेमेस्टर को पूरा करने में असमर्थ रहता है या किसी सेमेस्टर की अंतिम

परीक्षा में शामिल नहीं हो सका हो तो उसे कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम छः साल की अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

2.2 कार्य दिवसः

(क) एक सेमेस्टर में, प्रवेश की अवधि को छोड़कर, लेकिन परीक्षाओं की अवधि सहित कम से कम 125 (एक सौ पच्चीस) कार्य दिवस होंगे।

(ख) कुल काम के घंटे कम से कम 40 (चालीस) घंटे होंगे जो एक सप्ताह के अन्तर्गत होंगे।

(ग) छात्र–अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रमों में अस्सी प्रतिशत और क्षेत्र–आधारित अनुभव या स्कूल इंटर्नशिप या शिक्षण अभ्यास के लिए अलग से नब्बे प्रतिशत होनी चाहिए।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्कः

3.1 दाखिला क्षमता :

क) मूल इकाई के कार्यक्रम में प्रत्येक में पचास छात्र शामिल होंगे।

ख) संस्थान को कला वर्ग या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग में से एक या अधिक वर्ग चुनने की अनुमति होगी। उपयुक्त होने पर संस्थान को एक या अधिक इकाइयों को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी, यदि संस्थान इसके लिए पात्र है।

3.2 पात्रताः

क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पद्धति के तहत) में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र हैं।

ख) सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा (5+3+3+4 पद्धति के तहत) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कोई भी अन्य वर्ग के लिए आरक्षण में अंकों के प्रतिशत में छूट केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों के अनुसार होगी, जहां लागू हो।

3.3 प्रवेश प्रक्रियाः

क) आईटीईपी में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (इसके बाद एनटीए के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित एक उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षा के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।

ख) एनईपी 2020 की संस्तुतियों के तहत 4 वर्षीय आईटीईपी में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परिक्षा (बाद में 'एनसीईटी' के रूप में संदर्भित) नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का तरीका ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित/बहुभाषी पद्धति में (बाद में 'सीबीटी' के रूप में संदर्भित) और इसका स्कोर प्रवेश सुरक्षित करने के लिए योग्यता–आधारित चयन के लिए अभयर्थी के सापेक्ष योग्यता स्तर को प्रदर्शित करेगा। एनटीए द्वारा स्कोरकार्ड तैयार किया जाएगा और प्रवेश केंद्रीकृत ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।

ग) कार्यक्रम में प्रवेश के समय, अभ्यर्थी को विषयों/विषयवर्गो (बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड./बी.कॉम. बी.एड.) का संकेत देना होगा। विषय के चयन में कोई भी परिवर्तन कार्यक्रम के प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाएगा।

3.4 शुल्कः

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो संबद्ध निकाय या राज्य सरकार या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (शिक्षण शुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश और गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित अन्य शुल्क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। विनियम , 2002 और छात्रों से अंशदान, कैपिटेशन शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा।

4. पाठ्यचर्या और कार्यक्रम कार्यन्वयनः

4.1 पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनसीटीई द्वारा विकसित मॉडल/सूचनात्मक पाठ्यचर्या पर आधारित होगा। हालांकि, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मॉडल/सूचनात्मक पाठ्यचर्या को अनुकूलित या संशोधित करते समय 30 प्रतिशत नम्यता की अनुमति होगी। तथापि, एनसीटीई

के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आवश्यक समझे तो किसी भी स्तर पर इस प्रकार अनुकूलित या संशोधित पाठ्यचर्या में किसी भी संशोधन को वैधित किया जा सकता है। पाठ्यचर्या संरचना और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ताकि मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान (एच ई आई)/सम्बद्धकारी संस्था उसको उपयोग में ला सकें।

4.2 एचईआई को आईटीईपी के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगाः

(क) स्कूल कैलेंडर तैयार करना जिसमें स्कूल इंटर्नशिप और स्कूल से संबंधित अन्य अभ्यास स्कूल के अकादमिक कैलेंडर के साथ समकालिक किए जाते हैं।

(ख) 18 सप्ताह की इंटर्नशिप के स्कूल की सम्बद्धता के लिए आवश्यक अन्य व्यावहारिक गतिविधियों पर्याप्त स्कूलों के साथ, की व्यवस्था करना। ये स्कूल प्राथमिकता से सरकारी स्कूल होंगे और अध्ययन के पूरे कार्यक्रम में सभी व्यावहारिक गतिविधियों और संबंधित कार्यों के लिए बुनियादी संपर्क बिंदु होंगे। विभिन्न एचईआई को स्कूलों के आवंटन के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) क्षेत्र के स्कूलों और एचईआई के बीच एक समन्वय तंत्र सुनिश्चित करना। सरकार को स्कूल कैलेंडर के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में छात्र–अध्यापकों का तर्कसंगत और उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि स्कूल सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके।

(घ) स्कूल इंटर्नशिप से संबंधित प्रक्रियाओं में, इंटर्नशिप स्कूलों के स्कूली अध्यापकों को शामिल करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना। इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एक अभिविन्यास की योजना बनाई जा सकती है, जहां संस्थान/कॉलेज/विभाग के संकाय स्कूल अध्यापकों (संरक्षक अध्यापकों) के साथ विचार–विमर्श करते हैं।

(ड़) कई दिनों के पूरे कार्यक्रम में क्षेत्र में कम से कम 6 सप्ताह तक काम सुनिश्चित करना। इसमें शिक्षण और प्रतिक्रिया आदि के अनुभव के साथ–साथ स्कूल और कक्षा की एक एकीकृत तस्वीर और धारणा विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूलों में 4 सप्ताह की व्यस्तता और समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए 2 सप्ताह का कार्यक्रम शामिल होगा।

(च) छात्र–अध्यापकों और संकाय के लिए सेमिनार, वाद–विवाद, व्याख्यान और सामूहिक चर्चा का आयोजन करके शिक्षा पर गहन विमर्श शुरू करना।

(छ) शैक्षिक महत्व के विषयों पर विभिन्न कॉलेजों के बीच छात्र–अध्यापकों के लिए अंतर–संस्थागत विचार–विमर्श का आयोजन और अन्य संस्थानों में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी।

(ज) छात्र–अध्यापकों को कौशल–उन्मुख पाठ्यक्रमों में चिंतनशील सोच और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में मदद करने के लिए एक सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना।

(झ) छात्र–अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक पत्रिकाओं और अवलोकन रिकॉर्ड सुगम बनाने हेतु सुविधा प्रदान करना जो चिंतनशील सोच के अवसर प्रदान करते हैं।

(ट) छात्र अध्यापकों द्वारा तैयार की गई योजना, अवलोकन कार्यक्रम, प्रतिक्रिया और प्रतिबिंबित रिपोर्ट के रिकॉर्ड बनाए रखना।

(ठ) संकाय विकास के लिए अवसर प्रदान करना और संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना। संकाय को शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने और अनुसंधान करने के लिए विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.3 आकलन और मूल्यांकनः–

एनसीटीई द्वारा विकसित सुझावयुक्त पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मूल्यांकन पद्धत्ति का अनुपालन किया जाएगा।

5. स्टाफ

5.1 संकायः

पचास छात्रों की एक बुनियादी इकाई और एक सौ छात्रों की दो इकाइयों के लिए, निर्दिष्ट आवश्यक और वांछनीय योग्यता और विशेषज्ञता के साथ, पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए संकाय की भर्ती की जाएगी। अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति उन प्रावधानों के अन्तर्गत की जाएगी जो नीचे उल्लिखित पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए संकाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

एक इकाई के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में न्यूनतम संकाय का वितरण और लागू धाराओं के लिए 4 वर्षीय आईटीईपी की दो इकाइयां:

क्र. सं.	पदनाम	विज्ञान		मानविकी		वाणिज्य	
		एक इकाई	दो इकाई	एक इकाई	दो इकाई	एक इकाई	दो इकाई
1.	विभागाध्यक्ष (शिक्षा में प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर)	एक					
2.	सहायक प्रोफेसर (स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र / शैक्षिक अध्ययन में)	1. गणित — एक 2. भौतिकी — एक 3. रसायन विज्ञान — एक 4. जीव विज्ञान/ जीवन विज्ञान/ जैव विज्ञान — एक 5. वनस्पति विज्ञान/ जीवन विज्ञान/ जैव विज्ञान — एक 6. अंगेजी में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 7. आ.भा.भा. /शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 8. शैक्षिक अध्ययन — दो	1. गणित — दो 2. भौतिकी — दो 3. रसायन विज्ञान — दो 4. जीव विज्ञान/ जीवन विज्ञान/ जैव विज्ञान — दो 5. वनस्पति विज्ञान/ जीवन विज्ञान/ जैव विज्ञान — दो 6. अंगेजी में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 7. आ.भा.भा. /शास्त्रीय भाषा में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 8. शैक्षिक अध्ययन — तीन	1. इतिहास — एक 2. भूगोल — एक 3. राजनीती विज्ञान — एक 4. अर्थशास्त्र — एक 5. अंग्रेजी/ हिन्दी/ आ.भा.भा. — एक 6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 7. आ.भा.भा./ — एक 8. शैक्षिक अध्ययन — दो	1. इतिहास — दो 2. भूगोल — दो 3. राजनीती विज्ञान — दो 4. अर्थशास्त्र — दो 5. अंग्रेजी/ हिन्दी/ आ.भा.भा. — एक 6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय सक्रिय कौशल — एक 7. आ.भा.भा./शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 8. शैक्षिक अध्ययन — तीन	1. अकाउंटेंसी — एक 2. व्यापार अध्ययन — एक 3. अर्थशास्त्र — एक 4. सूचना विज्ञान अभ्यास/ गणित — एक 5. अंग्रेजी/ हिन्दी/ आ. भा.भा — एक 6. अंगेजी में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 7. आ.भा.भा./ शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 8. शैक्षिक अध्ययन — दो	1. अकाउंटेंसी — दो 2. व्यापार अध्ययन — दो 3. अर्थशास्त्र — दो 4. सूचना विज्ञान अभ्यास/ गणित — दो 5. अंग्रेजी/ हिन्दी/ आ.भा.भा — दो 6. अंगेजी में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 7. आ.भा.भा./शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल — एक 8. शैक्षिक अध्ययन — तीन
3.							
4.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालिक)					
5.	कला शिक्षा	एक (अंशकालिक)					
6.	कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श	एक (अंशकालिक)					

दो इकाइयों से अधिक की अतिरिक्त इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता निम्नानुसार होगीः –

(i) तीन इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता एक एकल इकाई (क्रम संख्या 1,3,4 और 5 को छोड़कर) के लिए निर्धारित संकाय की उपयुक्त संख्या तक बढ़ाई जाएगी। चार इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता दो इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता से एकदम दोगुनी है (क्रम संख्या 1,3,4 और 5 को छोड़कर)।

(ii) उपरोक्त न्यूनतम आवश्यक मुख्य संकाय है जिसे कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया जाना है। हालांकि, संस्थान में मौजूदा संकाय की सेवाओं का भी इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जा सकता है यदि उसके पास निर्धारित योग्यता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक, किसी भी अतिरिक्त संख्या में संकाय नियुक्त किया जा सकता है।

(iii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए संकाय यदि उपलब्ध हो, तो संस्थान में साझा किया जा सकता है या अन्यथा अंशकालिक भर्ती की जा सकती है।

(iv) इस उद्देश्य के लिए नियुक्त परामर्शदाता या तो शिक्षा में सहायक प्रोफेसर होगा, जिसके पास स्नातकोत्तर स्तर पर एक पेपर के रूप में मार्गदर्शन और परामर्श से सम्बन्धित होगा या मार्गदर्शन और परामर्श में उपयुक्त योग्यता के साथ अंशकालिक परामर्शदाता होगा।

(v) इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय या कॉलेज के अन्य विभागों में मौजूदा भौतिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति होगी।

5.2 अर्हताएं :

संकाय के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगीः –

क. शिक्षा में प्रोफेसर या शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष के रूप में):

(i) विज्ञान या गणित या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) एम.एड.

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में पीएच.डी.

(iv) प्रोफेसर के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थान में दस साल और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आठ साल का शिक्षण अनुभव।

(v) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रासंगिक अर्हता।

वांछितः

शैक्षिक प्रशासन या मार्गदर्शन में डिप्लोमा या डिग्री।

ख. सहायक प्रोफेसर– स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र में:

(i) विज्ञान (भौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव विज्ञान) या गणित या सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र) या भाषाएँ (अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएँ या शास्त्रीय भाषाएँ या वाणिज्य संबद्ध विषय) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड. उपाधि।

(iii) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में या संबंधित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि?

वांछितः

(i) एम.एड. या विशेषज्ञता के साथ एम.एड

(ii) शिक्षा में पीएचडी.

ग. शैक्षिक अध्ययन में सहायक प्रोफेसरः

(i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड.)

(ii) इन श्रेणियों के पदों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता।

वांछितः

(i) मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र या समाजशास्त्र या उनके संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

घ. विशेष पाठ्यक्रमः

शारीरिक शिक्षाः

(i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी. एड।)

कला शिक्षाः

(i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ निष्पादन या दृश्य कला में स्नातकोत्तर डिग्री।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्मचारी:

(क) सहायक लाइब्रेरियन – एक

(ख) कंप्यूटर लैब सहायक – एक

(ग) डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) – एक

(घ) मल्टी–टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) – एक

(ड़) मौजूदा विभागों के लिए काम कर रहे अन्य प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्मचारियों को साझा किया जाएगा।

ध्यान दें:

1. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

2. समकक्ष पदों के लिए योग्यताएं राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या संबद्ध निकाय द्वारा निर्धारित किए जाने के अनुसार होंगी।

5.4 स्टाफ की सेवा की शर्तें और उपबंध: चयन प्रक्रिया, वेतन बैंड या वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभों सहित शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें और उपबंध केंद्र सरकार या राज्य सरकार की या संबद्ध निकाय या विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होंगी।

6. बुनियादी सुविधाएं:

एक इकाई के लिए निम्नलिखित सुविधाएं होंगी। तथापि, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सुविधाओं में आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी:–

6.1 भूमि और भवन

(क) आईटीईपी को संचालित करने वाले संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक स्थान में एक प्रशासनिक विंग, एक अकादमिक विंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सभी स्थान समावेशी, और बाधा–मुक्त व सुगम होने चाहिए।

(ख) संस्थान 3000 वर्ग मीटर (तीन हजार वर्ग मीटर) पूर्ण रूप से सीमांकित भूमि निर्धारित करेगा जो प्रारंभिक प्रविष्ठ पचास छात्रों के लिए तथा 2000 वर्गमीटर (दो हजार वर्ग मीटर) सीमांकित निर्मित क्षेत्र होगा और शेष स्थान लॉन, खेल के मैदान आदि के लिए होगा।

(ग) पचास छात्रों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 200 वर्गमीटर का एक अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। (दो सौ वर्ग मीटर)।

(घ) संस्थान द्वारा कम से कम चार शौचालय ब्लॉक निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें से दो छात्रों के लिए (महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रत्येक के लिए एक) और दो दिव्यांग व्यक्तियों सहित स्टाफ सदस्यों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। खुले क्षेत्र में चार नलों वाला एक सामान्य हाथ धोने का स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।

6.2 निर्देशात्मक सुविधाएं:

(क) कक्षाएं: संस्थान में प्रत्येक कक्षा के लिए 500 वर्ग फुट (पांच सौ वर्ग फुट) के क्षेत्र के साथ एक इकाई के लिए छः कक्षाएं निर्धारित होंगी और दो इकाइयों या अधिक के लिए कक्षाओं की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(ख) पुस्तकालय:

(i) पुस्तकालय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसमें न्यूनतम 1000 (एक हजार) शीर्षकों और 4000 (चार हजार) पुस्तकों से सुसज्जित कम से कम पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। इनमें अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, कार्यक्रम में वर्णित दृष्टिकोण से संबंधित अध्ययन और साहित्य शामिल हैं। शैक्षिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और डिजिटल या ऑनलाइन संसाधन और न्यूनतम पांच सन्दर्भ व्यावसायिक शोध पत्रिकाएं होनी चाहिए। संस्थान प्रासंगिक और पर्याप्त संसाधन सामग्री के साथ डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करेंगे।

(ii) पुस्तकालय संसाधनों में रा.अ.शि.प, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और अन्य वैधानिक निकायों, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और नीति दस्तावेजों द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल होंगी। प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के कम से कम एक सौ शीर्षक जोड़े जाएंगे। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के उपयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर भी उपलब्ध होगा।

(ग) प्रयोगशालाएं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे विज्ञान वर्ग वाले विषयों के लिए प्रयोगशालाओं को प्रयोग करने के लिए सुविधाओं और पर्याप्त उपकरणों के साथ निर्धारित किया जाएगा। मानविकी वर्ग में भूगोल के लिए एक प्रयोगशाला निर्धारित की जाएगी।

(घ) गतिविधि–सह संसाधन केंद्र:

(i) इस प्रकार निर्दिष्ट स्थान का उपयोग विभिन्न गतिविधियों जैसे शिल्प, शैक्षिक खिलौने, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण और शिक्षण सामग्री के सृजन आदि के संचालन के लिए किया जाएगा। अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए पूरी सुविधाएं होंगी जो अध्यापक–छात्र को अनुभवात्मक अधिगम और शिक्षण कार्यक्रमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रदर्शन का व्यावहारिक अनुभव देती हैं।

(ii) यह संसाधन केंद्र फोटोकॉपी मशीन, ऑडियो वीडियो उपकरण, टेलीविजन, प्रोजेक्टर आदि जैसी सुविधाओं से लैस होगा।

(iii) इस केंद्र में एक कंप्यूटर और भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

(ड़) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्षः सामान्य इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए पर्याप्त क्रीड़ा और खेल उपकरण, साथ ही योग शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

(च) बहु–उद्देश्यीय हॉलः संस्थान में न्यूनतम दो सौ सीटों की बैठने की क्षमता वाला एक निर्धारित हॉल और न्यूनतम कुल 2000 वर्ग फुट (दो हजार वर्ग फुट) का होगा। यह हॉल दृश्य–श्रव्य प्रणाली की स्थापना के साथ सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने के लिए सुसज्जित होगा।

(छ) संकाय कक्षः संकाय के लिए अलग–अलग कार्यस्थल, क्रियाशील कंप्यूटर और भंडारण स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ज) प्रशासनिक कार्यालय स्थानः संस्थान कार्यालय के कर्मचारियों के लिए फर्नीचर, भंडारण और कंप्यूटर सुविधाओं के साथ पर्याप्त कार्य स्थल प्रदान करेगा।

(झ) कॉमन कक्षः संस्था कम से कम एक कॉमन रूम उपलब्ध कराएगी।

(ट) स्टोरः भंडारण के लिए पर्याप्त जगह के साथ एक कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ठ) सामान्य और अलग–अलग सक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(ढ) परिसर की नियमित सफाई, पानी और शौचालय की सुविधा, फर्नीचर और अन्य उपकरणों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

(त) संस्थान में छात्र–शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं को सीखने के लिए किचन गार्डन का विकास और रखरखाव किया जाना चाहिए।

(थ) वर्षा जल संचयन प्रणाली और अक्षय ऊर्जा के लिए बुनियादी संरचना जैसे बिजली के लिए सौर पैनल।

(द) रुचिकर सह–पाठयक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं।

6.3 अन्य विभागों या विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में मौजूदा भौतिक संसाधनों को इस कार्यक्रम के साथ साझा किया जा सकता है, यदि इससे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति होती है।

वांछितः

(क) ऊर्जा–कुशल भवन डिजाइन (जैसे जैव–जलवायु वास्तुकला, उच्च प्रदर्शन वाली इमारत का आवरण, उच्च प्रदर्शन–नियंत्रित वेंटिलेशन आदि)

(ख) ऊर्जा–सक्षम उपकरणों का उपयोग और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के नए तरीके और अपशिष्ट प्रबंधन निपटान प्रणाली स्थापित करना।

6.4 संस्थान को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

7. प्रबंध समिति : संस्थान में संबद्ध विश्वविद्यालय या संबंधित राज्य सरकार, यदि कोई हो, के नियमों के अनुसार गठित एक प्रबंध समिति होगी। ऐसे नियमों के अभाव में संस्था स्वयं एक प्रबंध समिति का गठन करेगी।

समिति में प्रायोजक सोसायटी या ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, संबद्ध विश्वविद्यालय/निकाय के प्रतिनिधि और कर्मचारी शामिल होंगे।

8. विनियम के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी तरह के विवाद या असंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण में विनियम मान्य होगा।

(i) परिशिष्ट–16 को हटा दिया जाएगा।

(ii) परिशिष्ट–17 को हटा दिया जाएगा।

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./378/2021]

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र भाग III खंड 4 दिनांक 1 दिसंबर 2014 में अधिसूचना संख्या एफ 51–1/2014–एनसीटीई (एन एंड एस) दिनांक 28 नवंबर 2014 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार फा.सं. एनसीटीई–रेगु.10122/8/2020 यू एस(रेगु.) एच.क्यू., दि. 14 अक्टूबर 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।